रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-14072026-274428
CG-DL-E-14072026-274428

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 531] नई दिल्ली, मंगलवार, जुलाई 7, 2026/आषाढ 16, 1948
No. 531] NEW DELHI, TUESDAY, JULY 7, 2026/ASHADHA 16, 1948

पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 जुलाई, 2026

सा.का.नि. 589(अ).— केंद्रीय सरकार, वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 2025 (2025 का 24) की धारा 130 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खंड (क) और खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और वाणिज्य पोत परिवहन (पोतों के सुरक्षित संचालन के लिए प्रबंधन) नियम, 2000 को उन बातों के सिवाए अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :--

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ--(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम वाणिज्य पोत परिवहन (सुरक्षा प्रबंधन) नियम, 2026 है।

(2) ये नियम उनके राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. लागू होना--ये नियम भारतीय जलयानों को और उन कंपनियों को लागू होंगे, जो निम्नलिखित का संचालन करती हैं,--

(क) किसी भी आकार के यात्री पोत, जिनमें यात्री उच्च गति वाले क्राफ्ट भी सम्मिलित हैं ;

(ख) 500 सकल टन भार या उससे अधिक के तेल टैंकर, रासायनिक टैंकर, गैस वाहक, थोक मालवाहक, और माल उच्च गति के क्राफ्ट ;

(ग) 500 सकल टन भार या उससे अधिक के अन्य मालवाहक जलयान और चलायमान अपतटीय ड्रिलिंग इकाईयां ;

(घ) 500 सकल टन भार या उससे अधिक के देशी जलयान ।

3. परिभाषाएँ - (1) इन नियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,--

(क) "अधिनियम" से वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 2025 (2025 का 24) अभिप्रेत है ;

(ख) "संपरीक्षक" से अधिनियम और इन नियमों के उपबंधों के अनुसार जलयानों और कंपनियों की संपरीक्षा संचालित करने के प्रयोजनों के लिए, अधिनियम की धारा 8 के अधीन नियुक्त कोई सर्वेक्षक, या धारा 9 या धारा 129 की उपधारा (2), या धारा 144 की उपधारा (2) के अधीन प्राधिकृत कोई व्यक्ति अभिप्रेत है ;

(ग) "थोक मालवाहक" से ऐसा जलयान अभिप्रेत है, जो साधारणतया एकल डेक, टॉप-साइड टैंक और कार्गो स्थानों में हॉपर साइड टैंक के साथ बनाया गया है, जिसका प्रयोजन मुख्य रूप से थोक में सूखे कार्गो को ले जाना है, और इसमें अयस्क वाहक और संयोजन वाहक सम्मिलित हैं ;

(घ) "रासायनिक टैंकर" से अंतर्राष्ट्रीय बल्क केमिकल कोड के अध्याय 17 में सूचीबद्ध, यथासंशोधित, किसी भी खतरनाक उत्पाद के परिवहन के लिए निर्मित या अनुकूलित कोई मालवाहक जलयान अभिप्रेतहै ;

(ङ) "कोड" से पोतों के सुरक्षित प्रचालन और प्रदूषण निवारण के लिए, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन द्वारा यथा अंगीकृत, समय-समय पर यथासंशोधित, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा प्रबंधन कोड अभिप्रेत है ;

(च) "कंपनी" से अधिनियम की धारा 115 के खंड (क) के अधीन परिभाषित कोई कंपनी अभिप्रेत है ;

(छ) "पदाभिहित तटीय व्यक्ति" से कंपनी के प्रबंधन के उच्चतम स्तर तक सीधी पहुंच वाला ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जिसे प्रत्येक जलयान के संचालन के सुरक्षा और प्रदूषण-निवारण पहलुओं की निगरानी करने का उत्तरदायित्व और अधिकार सौंपा गया है ;

(ज) "अनुपालन का दस्तावेज" से महानिदेशक द्वारा प्राधिकृत, भारत सरकार के उप मुख्य सर्वेक्षक के पद से अनिम्न पद के अधिकारी द्वारा, किसी कंपनी को, जो संहिता की अपेक्षाओं का अनुपालन करती है, जारी किया गया अनुपालन का प्रमाण पत्र अभिप्रेत है ;

(झ) "देशी जलयान" से तटीय जल में संचालित कोई भी भारतीय जलयान अभिप्रेत है ;

(ञ) "अनुपालन का देशी दस्तावेज" सेमहानिदेशक द्वारा प्राधिकृत, भारत सरकार के उप मुख्य सर्वेक्षक के पद से अनिम्न पद के अधिकारी द्वारा, किसी कंपनी को नियम 10 के उपनियम (1) के अधीन जारी किया गया अनुपालन का प्रमाण पत्र अभिप्रेत है ;

(ट) "प्ररूप" से इन नियमों से संलग्न प्ररूप अभिप्रेत है ;

(ठ) "गैस वाहक' से किसी द्रवीकृत गैस या अंतर्राष्ट्रीय गैस वाहक संहिता में सूचीबद्ध अन्य उत्पाद की थोक में ढुलाई के लिए निर्मित या अनुकूलित कोई मालवाहक पोत अभिप्रेत है ;

(ड) "उच्च गति क्राफ्ट" से ऐसा क्राफ्ट अभिप्रेत है, जो $3.7 \times V^{0.01667}$ के समान या उससे अधिक कीअधिकतम गति (मीटर प्रति सेकंड में) में सक्षम है, जहां V डिजाइन जलरेखा के अनुरूप विस्थापन की मात्रा है ;

(ढ) "आंतरिक सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली संपरीक्षा" से कंपनी द्वारा, अपने प्रबंधन कार्य के भाग के रूप में, की गई एक व्यवस्थित और स्वतंत्र सत्यापन प्रक्रिया अभिप्रेत है, जो यह अभिनिर्धारित करती है कि सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली की गतिविधियां और संबंधित परिणाम, कंपनी की सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली की अपेक्षाओं के अनुपालन में हैं ;

(ण) "अंतर्राष्ट्रीय समुद्रीय संगठन" या "आईएमओ" से संयुक्त राष्ट्र की एक विशेषज्ञ एजेंसी अभिप्रेत है, जिसे अंतर्राष्ट्रीय पोत परिवहन, जिसमें समुद्री सुरक्षा और संरक्षा तथा पोतों से प्रदूषण के निवारण संबंधी मामलें सम्मिलित हैं, को विनियमित करने का उत्तरदायित्व सौंपा गया है ;

(त) "प्रमुख गैर-अनुरूपता" से ऐसा पहचाने जाने योग्य विचलन अभिप्रेत है, जो कार्मिकों या पोत की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा उत्पन्न करता है या पर्यावरण के लिए गंभीर जोखिम उत्पन्न करता है, जिसके लिए तत्काल सुधारात्मक कार्रवाई की अपेक्षा होती है या जिसमें संहिता की अपेक्षा के प्रभावी और व्यवस्थित कार्यान्वयन का अभाव है ;

(थ) "चलायमान अपतटीय ड्रिलिंग इकाई" से समुद्र तल खनिज संसाधनों की खोज या दोहन के लिए ड्रिलिंग संचालन में लगा सकने में सक्षम कोई जलयान अभिप्रेत है ;

(द) "गैर-अनुरूपता" से ऐसी संप्रेक्षित स्थिति अभिप्रेत है, जहां विषयनिष्ठ साक्ष्य, संहिता की किसी विनिर्दिष्ट अपेक्षा के अननुपालन को दर्शित करते हैं ;

(ध)"उद्देश्यीय साक्ष्य" से सुरक्षा से संबंधित मात्रात्मक या गुणात्मक सूचना, रिकॉर्ड या तथ्य के विवरण या किसी सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली तत्व का अस्तित्व और कार्यान्वयन अभिप्रेत है,जो संप्रेक्षण, मापन या परीक्षण पर आधारित है और जिसे सत्यापित किया जा सकता है ;

(न)"संप्रेक्षण" से सुरक्षा प्रबंधन संपरीक्षा के दौरान किया गया औरवस्तुनिष्ठ साक्ष्य द्वारा सिद्ध, तथ्यों का विवरण अभिप्रेत है;

(प)"तेल टैंकर" से मुख्य रूप से अपने कार्गो स्थानों में थोक में तेल ले जाने के लिए निर्मित या अनुकूलित जलयान अभिप्रेत है, जिसमें संयोजन वाहक भी सम्मिलित हैं;

(फ)"मान्यता प्राप्त संगठन"से अधिनियम की धारा 9 के अधीन केंद्रीय सरकार की ओर से कानूनी सर्वेक्षण, संपरीक्षा, निरीक्षण, अनुमोदन और प्रमाणन कार्य निष्पादित करने के प्रयोजन के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा प्राधिकृत कोई सोसायटी या कोई निकाय अभिप्रेत है ;

(ब)"सुरक्षा प्रबंधन संपरीक्षा" से यह अवधारित करने के लिए कोई व्यवस्थित और स्वतंत्र परीक्षा अभिप्रेत है कि क्या सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली संबंधी गतिविधियां और संबंधित परिणाम, नियोजित व्यवस्थाओं का अनुपालन करते हैं, और क्या ये व्यवस्थाएं प्रभावी ढंग से क्रियांवित की गई हैं और उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए उपयुक्त हैं;

(भ)"सुरक्षा प्रबंधन प्रमाणपत्र" से महानिदेशक द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा, जो भारत सरकार के उप मुख्य सर्वेक्षक के पद से न्यून पंक्ति का न हो, यह सत्यापित करने और समाधान हो जाने के पश्चात् कि कंपनी और उसका पोत प्रबंधन अनुमोदित सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली के अनुसार काम करते हैं,किसी पोत को जारी कोई दस्तावेज अभिप्रेत है ;

(म) "सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली" से कंपनी के कार्मिकों को कंपनी की सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण नीति को प्रभावी रीति से क्रियांवित करने में सक्षम बनाने वाली कोई संरचित और प्रलेखित प्रणाली अभिप्रेत है ।

(2) उन शब्दों और पदों के, जो इन नियमों में प्रयुक्त है और परिभाषित नहीं हैं, किंतु अधिनियम में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगें जो अधिनियम में क्रमश:, उनके हैं।

4. सत्यापन के लिए मानदंड--(1) महानिदेशक, निम्नलिखित मानदंडों को ध्यान में रखते हुए, कंपनी द्वारा संहिता की अपेक्षाओं के निरंतर अनुपालन का सत्यापन करेगा, अर्थात्:--

(क) कंपनी की सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली संहिता की अपेक्षाओं के अनुरूप है; और

(ख) सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली निम्नलिखित का अनुपालन सुनिश्चित करती है,--

(i) लागू नियम और विनियम; और

(ii) आईएमओ और केंद्रीय सरकार द्वारा सिफारिश किए गए लागू कोड, मार्गदर्शक औरमानक।

(2) महानिदेशक, किसी कंपनी से लागू प्रक्रियाओं और निर्देशों के अनुपालन को प्रदर्शित करने वाले दस्तावेजी साक्ष्य उपलब्ध कराने की अपेक्षाकर सकेगा, और कंपनी उनके कार्यान्वयन का वस्तुनिष्ठ साक्ष्य प्रदान करेगी।

5. कंपनी की बाध्यताएं—कंपनी,--

(क) संहिता के अनुसार कोई सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली स्थापित, कार्यान्वित और बनाए रखेगी, जो एक सुरक्षा प्रबंधन नियमावली में प्रलेखित किया जाएगा, जैसा महानिदेशक द्वारा अनुमोदित किया जाए ;

(ख) सभी लागू सुरक्षा, पर्यावरण और कानूनी अपेक्षाओं का अनुपालन सुनिश्चित करेगी, जिसमेंजीवन की सुरक्षा, चोट या जीवन की हानि की निवारण, पर्यावरण को और संपत्ति को नुकसान से बचाव, और कार्मिकों के सुरक्षा प्रबंधन कौशल में निरंतर सुधार सम्मिलित हैं ;

(ग) सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली को बनाए रखने और लागू करने के लिए संसाधन और तट-आधारित समर्थन सुनिश्चित करेगी और जलयानों के सुरक्षित प्रचालन और प्रदूषण निवारण के लिए आवश्यक कार्मिक, उपकरण, प्रक्रिया और वित्तीय संसाधनउपलब्ध करेगी ;

(घ) यह सुनिश्चित करेगी कि इसके जलयानों का प्रबंधन सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली के अनुसार किया जाता है और कि मास्टर तथा चालक दल उचित रूप से योग्य, प्रशिक्षित और सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली के सुसंगत उपबंधों और इसके अधीन उनके कर्तव्यों से परिचित हैं;

(ङ) सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली के अनुपालन को सत्यापित करने के लिए,आंतरिक सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली संपरीक्षा के लिए बारह मास से अनधिक के अंतराल पर प्रक्रियाएंस्थापित करेगी और उन्हें बनाए रखेगी, और यह सुनिश्चित करेगी कि ऐसी संपरीक्षा के दौरान पहचानी गई किसी भी गैर-अनुरूपता के लिए सुधारात्मक कार्रवाइयां की जाती है :

परंतु असाधारण परिस्थितियों में, उपरोक्त अंतराल को तीन मास से अनधिक की अवधि के लिए बढ़ाया जा सकेगा ।

6. सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली की अपेक्षाएं--प्रत्येक कंपनी,--

(क) निम्नलिखित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए, सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण नीति विकसित करेगी और बनाए रखेगी, अर्थात् :--

(i) समुद्र में सुरक्षा, मानव क्षति या जीवन की हानि की निवारण, और पर्यावरण, विशेष रूप से समुद्री पर्यावरण, को और संपत्ति को नुकसान से बचाना सुनिश्चित करना ;

(ii) जलयान प्रचालन में सुरक्षित प्रथाएं और एक सुरक्षित कार्य वातावरण प्रदान करना;

(iii) साइबर जोखिमों सहित सभी पहचाने गए जोखिमों के विरूद्ध सुरक्षोपाय स्थापित करना; और

(iv) समुद्री और जलयान पर कार्मिकों के सुरक्षा प्रबंधन कौशल में सुधार करना, जिसमें सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण से संबंधित आपात स्थितियों के लिए तैयारी करना सम्मिलित है।

(ख) कंपनी के भीतर और जलयान तथातट के कर्मचारियों के बीच उत्तरदायित्व, प्राधिकार और संचार की स्पष्ट रेखाएं अधिकथित करेगी, जिसमें प्रबंधन के उच्चतम स्तर तक पहुंच वाले तट विनिर्दिष्ट व्यक्ति की पहचान भी सम्मिलित है;

(ग) दुर्घटनाओं, खतरनाक घटनाओं, गैर-अनुरूपताओं और निकटतम चूक की रिपोर्ट करने के लिए, और सुधारात्मक और निवारक क्रियाओं के क्रियान्वयन और रिकार्डिंग के लिएप्रक्रियाएं अधिकथित करेगी ;

(घ) यह सुनिश्चित करने के लिए कि सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली प्रभावी ढंग से बनाए रखी जाती है और उनके निरंतर सुधार किया जाता है, उचित अंतराल पर, आंतरिक सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली संपरीक्षा और प्रबंधन समीक्षा के लिए प्रक्रियाएं अधिकथित करेगी ;

(ङ) आपातकालीन तैयारी के लिए प्रक्रियाएं अधिकथित करेगी, जिसमें आग, टक्कर, ग्राउंडिंग या अन्य घटनाओं जैसी आपात स्थितियों के लिए ड्रिल, अभ्यास और आकस्मिक योजनाएं सम्मिलित हैं;

(च) दस्तावेजीकरण और अभिलेखों के रखरखाव के लिए अपेक्षाएंअधिकथित करेगी, जिसमें सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली और जलयान के सुरक्षित प्रचालन के लिए और संहिता तथा इन नियमों के अनुपालन के लिए आवश्यक अनुदेश, प्रक्रियाएं और अभिलेख अंतर्विष्ट करते हुए सुरक्षा प्रबंधन मैनुअल सम्मिलित है ;

(छ) कंपनी की सुसंगत अंतर्राष्ट्रीय अभिसमयों, राष्ट्रीय विधियों और विनियमों की अनिवार्य अपेक्षाओं के साथ, जिसमें किन्हीं कमियों को दूर करने की प्रक्रियाएं सम्मिलित हैं,और प्रत्येक जलयानका अनुपालन सत्यापित करने के लिए कोई कार्यक्रम विकसित करेगी ।

7. तट विनिर्दिष्ट व्यक्ति और वैकल्पिक तट विनिर्दिष्ट व्यक्ति--(1) प्रत्येक कंपनी किसी व्यक्ति को तट विनिर्दिष्ट व्यक्तिके रूप में नामनिर्दिष्ट करेगी, जो प्रत्येक जलयान के सुरक्षित संचालन को सुनिश्चित करने और जलयानतथा तट-आधारित प्रबंधन के बीच एक लिंक प्रदान करने के लिए उत्तरदायी होगा।

(2) तट विनिर्दिष्ट व्यक्ति को कंपनी के प्रबंधन के उच्चतम स्तर तक सीधी पहुंच होगी और उसे सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली के अधीन आवश्यक कर्तव्यों को पूरा करने के लिए आवश्यक अधिकार, संसाधन और सहायता प्रदान की जाएगी ।

(3) कंपनी किसी वैकल्पिक तट विनिर्दिष्ट व्यक्तिको भी नामनिर्दिष्ट करेगी, जो उसकी अनुपस्थिति में नामनिर्दिष्ट व्यक्ति के कर्तव्यों का निर्वहन करेगा।

(4) कंपनी महानिदेशक को तट विनिर्दिष्ट व्यक्ति का नाम और संपर्क विवरण तथा वैकल्पिक तट विनिर्दिष्ट व्यक्ति का नाम और संपर्क विवरण प्रदान करेगी।

(5) तट विनिर्दिष्ट व्यक्ति और वैकल्पिक तट विनिर्दिष्ट व्यक्ति को अन्य कोई ऐसा कार्यभार नहीं सौंपा जाएगा, जो सुरक्षा और प्रदूषण निवारण के लिए उनकी उत्तरदायित्वों के निर्वहन में बाधा बनें ।

(6) तट विनिर्दिष्ट व्यक्ति और वैकल्पिक तट विनिर्दिष्ट व्यक्ति की नियुक्ति के लिए आवश्यक अर्हताएं, प्रशिक्षण और अनुभव ऐसे होंगे, जो अधिनियम के अधीन सर्वेक्षण, लेखा परीक्षा और प्रमाणन से संबंधित बनाए गए नियमों के अनुसार होंगे ।

8. अनुपालन दस्तावेज--(1) प्रारंभिक सत्यापन के पश्चात्, मुख्य सर्वेक्षक द्वारा किसी कंपनी को,निम्नलिखित रीति से कोड की अपेक्षाओं के अनुपालन के लिए,प्ररूप-4 में अनुपालन दस्तावेज जारी किया जाएगा, अर्थात् :--

(क) संपरीक्षक यह सत्यापित करेगा कि सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली की स्थापना और कार्यान्वयन नियम 4 में विनिर्दिष्ट उद्देश्यों को पूरा करता है और इस तरह के सत्यापन के संतोषजनक समापन पर संपरीक्षक महानिदेशक को एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा; और

(ख) जहां रिपोर्ट संतोषजनक पाई जाती है, मुख्य सर्वेक्षक एक अनुपालन दस्तावेज जारी करेगा, जो मूल्यांकन की तारीख से या किसी भी प्रमुख गैर-अनुरूपताओं के संतोषजनक समापन की तारीख से पांच वर्ष के लिए विधिमान्य होगा।

(2) अनुपालन दस्तावेज उन जलयानों के प्रकार के लिए विधिमान्य होगा, जिनके लिए प्रारंभिक सत्यापन किया गया था और-

(क) इस सत्यापन के पश्चात्, कि कंपनी ने ऐसे अतिरिक्त प्रकार के जलयानों के लिए संहिता की अपेक्षाओं का अनुपालन किया है,अतिरिक्त प्रकार के जलयानों को सम्मिलित करने के लिए बढ़ाया जा सकेगा ;

(ख) कंपनी में सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली के प्रभावी कामकाज की पुष्टि करने के लिए, इसके जारी होने की प्रत्येक वर्षगांठ से तीन मास पहले या पश्चात् में संपरीक्षकों द्वारा वार्षिक सत्यापन के अधीन होगा; और ऐसे सत्यापन में अनुपालन दस्तावेज द्वारा सम्मिलित किए गए प्रत्येक प्रकार के कम से कम एक जलयान के लिए वैधानिक और वर्गीकरण रिकॉर्ड की शुद्धता की जांच और सत्यापन करना, और पिछली सत्यापन के पश्चात् से सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली में किए गए सुधारात्मक कार्यों और संशोधनों का सत्यापन करना सम्मिलित होगा;

(ग) अनुपालन दस्तावेज पर अंकित जलयान के प्रकार का, जिसमें कोई अंतरिम अनुपालन दस्तावेज या सीमाएं सम्मिलित हैं, उसमें पृष्ठांकित किया जा सकेगा ।

(3) अनुपालन दस्तावेज का नवीनीकरण सत्यापन उसकी समाप्ति से ठीक पहले तीन मास के भीतर किया जाएगा।

(4) अनुपालन दस्तावेज तब तक जारी, पृष्ठांकित या नवीनीकृत नहीं किया जाएगा, जब तक कंपनी द्वारा सभी प्रमुख गैर-अनुरूपताओं को पूरी तरह से ठीक नहीं कर लिया जाए और संपरीक्षक द्वारा सत्यापित नहीं किया जाए।

(5) अनुपालन दस्तावेज की एक प्रति अनुपालन दस्तावेज के अंतर्गत सम्मिलित किए गए प्रत्येक जलयान पर रखी जाएगी और मास्टर, अधिनियम की धारा 8 के अधीन नियुक्त सर्वेक्षक या इस संबंध में प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा या समुद्री जीवन की सुरक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय, 1974 के विनियम 9/6.2 में विनिर्दिष्ट नियंत्रण के प्रयोजनों के लिए सत्यापन के लिए इसे प्रस्तुत करेगा।

9. सुरक्षा प्रबंधन प्रमाणपत्र--(1) एक सुरक्षा प्रबंधन प्रमाण पत्र मुख्य सर्वेक्षक द्वारा प्ररूप 3 में, निम्नलिखित रीति से कोड के अनुपालन के प्रारंभिक सत्यापन के पश्चात्किसी जलयान को जारी किया जाएगा, अर्थात् :--

(क) संपरीक्षक यह सत्यापित करेगा कि जलयान पर स्थापित और कार्यान्वित सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली है, और यह सुनिश्चित करेगा कि कंपनी के लिए अनुपालन दस्तावेज उस जलयान के प्रकार पर लागू होता है;

(ख) इस बात का वस्तुनिष्ठ प्रमाण होना चाहिए कि कंपनी की सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली कम से कम तीन मास से जलयान पर प्रभावी ढंग से काम कर रही है; और

(ग) यदि जलयान पर कोई संतोषजनक सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली पाई जाती है, तो संपरीक्षक महानिदेशक को एक घोषणा प्रस्तुत करेगा, जो जलयान को सुरक्षा प्रबंधन प्रमाणपत्र जारी करने की सिफारिश करेगा।

(2) जलयान को जारी विधिमान्य सुरक्षा प्रबंधन प्रमाणपत्र की एक प्रति हमेशा कंपनी के प्रधान कार्यालय में उपलब्ध कराई जानी चाहिए।

(3) सुरक्षा प्रबंधन प्रमाणपत्र जारी करने का विषय निम्नलिखित के अधीन होगा,--

(क) उस प्रकार के पोत के लिए अनुपालन के विधिमान्य दस्तावेज का होना;

(ख) नियम 4 का अनुपालन; और

(ग) सम्मेलनों के अधीन आवश्यक विधिमान्य प्रमाणपत्र का होना।

(4) एक सुरक्षा प्रबंधन प्रमाणपत्र तब तक जारी, पृष्ठांकित या नवीनीकृत नहीं किया जाएगा जब तक कंपनी द्वारा जलयान पर सभी प्रमुख गैर-अनुरूपताओं को ठीक नहीं कर लिया गया हो और संपरीक्षक द्वारा सत्यापित नहीं किया गया हो:

परंतु कंपनी और संपरीक्षक के बीच सहमति के अनुसार तीन मास से अधिक की अवधि के भीतर गैर-अनुरूपताओं के सुधार के लंबित होने पर सुरक्षा प्रबंधन प्रमाण पत्र जारी, पृष्ठांकित या नवीनीकृत किया जा सकेगा, यदि गैर-अनुरूपताओं को कंपनी के नियंत्रण से परे कारणों से ठीक नहीं किया जा सका है ।

(5) सुरक्षा प्रबंधन प्रमाणपत्र की विधिमान्यता की अवधि पांच वर्ष होगी, जो सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली के प्रभावी कामकाज की पुष्टि करने वाले कम से कम एक मध्यवर्ती सत्यापन के अधीन है और पिछले सत्यापन के पश्चात् से किए गए किसी भी संशोधन का संहिता के अनुरूप है।

(6) यदि कोई बड़ी गैर-अनुरूपता नहीं है, तो मूल्यांकन पूरा होने की तारीख से, या किसी भी बड़ी गैर-अनुरूपता के संतोषजनक सुधार की तारीख से, मुख्य सर्वेक्षक द्वारा उचित समझा जाता है, एक सुरक्षा प्रबंधन प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा।

(7) नवीनीकरण सत्यापन के संतोषजनक समापन पर, नवीनीकृत सुरक्षा प्रबंधन प्रमाणपत्र जारी किया जाएगा जो पिछले सुरक्षा प्रबंधन प्रमाणपत्र की समाप्ति की तारीख से पांच वर्ष से अधिक की अवधि के लिए विधिमान्य नहीं होगा।

(8) जहां कोई जलयान किसी पत्तन में नहीं है और उसके सुरक्षा प्रबंधन प्रमाणपत्र की विधिमान्यता समाप्त हो जाती है, मुख्य सर्वेक्षक केवल जलयान को सत्यापन के पत्तन तक अपनी यात्रा पूरी करने की अनुमति देने के प्रयोजन से और केवल तभी जब ऐसा करना उचित और उचित समझा जाए,सुरक्षा प्रबंधन प्रमाणपत्र की विधिमान्यता बढ़ा सकेगा ।

(9) कोई सुरक्षा प्रबंधन प्रमाणपत्र तीन मास से अधिक समय के लिए नहीं बढ़ाया जाएगा और कोईजलयान, जिसको विस्तार दिया गया है, वह सत्यापन के पत्तन पर पहुंचने पर, नवीनीकृत सुरक्षा प्रबंधन प्रमाणपत्र के बिना प्रस्थान नहीं करेगा।

10. अनुपालन का देशी दस्तावेज - (1) इन नियमों के लागू उपबंधों के अनुपालन के अधीन देशी जलयानों के संबंध में कंपनी को अनुपालन का एक देशी दस्तावेज जारी किया जाएगा:

परंतु ऐसे जलयानों के प्रकार और श्रेणियां, और अनुपालन के देशी दस्तावेज जारी करने के प्रयोजन के लिए उन पर लागू वैकल्पिक या संशोधित सुरक्षा प्रबंधन अपेक्षाएं, अधिनियम की धारा 301 के अधीन महानिदेशक द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएंगी।

(2) संहिता और लागू कानून की अपेक्षाओं के अनुपालन के प्रारंभिक सत्यापन के पश्चात् मुख्य सर्वेक्षक द्वारा प्ररूप 5 में कंपनी को अनुपालन का एक देशी दस्तावेज जारी किया जाएगा।

(3) अनुपालन का देशी दस्तावेज उस प्रकार के देशी जलयानों के लिए विधिमान्य होगा, जिस पर प्रारंभिक सत्यापन आधारित था और-

(क) उपनियम (1) के अधीन अपेक्षाओं का अनुपालन करने की कंपनी की क्षमता को सत्यापित करने के पश्चात् अतिरिक्त देशी जलयान के प्रकारों तक बढ़ाया जा सकेगा ;

(ख) कंपनी में सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली के प्रभावी कामकाज की पुष्टि करने के लिए, पांच वर्ष की अवधि की मध्य-अवधि की तारीख से पहले या पश्चात् में छह मास के भीतर संपरीक्षकों द्वारा मध्यवर्ती सत्यापन के अधीन होगा, जिसमें अनुपालन के देशी दस्तावेज द्वारा कवर किए गए प्रत्येक प्रकार के कम से कम एक जलयान के लिए वैधानिक और वर्गीकरण रिकॉर्ड की जांच और सत्यापन करना और पिछली सत्यापन के पश्चात् से सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली में सुधारात्मक कार्रवाई और संशोधन का सत्यापन करना सम्मिलित है;

(ग) अनुपालन के देशी दस्तावेज पर इंगित पोत प्रकारों को सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली में निर्दिष्ट पोतों के संचालन में किसी भी सीमा को दर्शाने के लिए अनुमोदित किया जा सकता है।

(4) अनुपालन के देशी दस्तावेज का नवीनीकरण सत्यापन उसकी समाप्ति से ठीक पहले तीन मास के भीतर किया जाएगा।

(5) अनुपालन का देशी दस्तावेज तब तक जारी, पृष्ठांकित या नवीनीकृत नहीं किया जाएगा, जब तक कंपनी द्वारा सभी प्रमुख गैर-अनुरूपताओं को पूरी तरह से ठीक नहीं कर लिया गया हो और संपरीक्षक द्वारा सत्यापित नहीं किया गया हो।

(6) अनुपालन के देशी दस्तावेज की एक प्रति अनुपालन के ऐसे देशी दस्तावेज के अधीन सम्मिलित किए गए प्रत्येक जलयान पर रखी जाएगी, जिससे मास्टर, अधिनियम की धारा 8 के अधीन नियुक्त सर्वेक्षक या इस संबंध में प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति द्वारा सत्यापन के लिए इसे प्रस्तुत कर सके।

(7) किसी भी नए श्रेणी के देशी जलयान को सम्मिलित करने के लिए, कंपनी को एक अतिरिक्त सत्यापन संपरीक्षा से गुजरना होगा और संतोषजनक ढंग से पूरा होने पर, संपरीक्षक महानिदेशक को रिपोर्ट करेगा और कंपनी के विद्यमान देशी अनुपालन दस्तावेज में नए श्रेणी के जलयान को सम्मिलित करने की सिफारिश करेगा।

11. जलयान सुरक्षा प्रमाणपत्र--(1) विधिमान्य देशी अनुपालन दस्तावेज रखने वाली कंपनी द्वारा प्रबंधित देशी जलयान के मामले में, लागू सुरक्षा प्रबंधन अपेक्षाओं के अनुपालन के सत्यापन पर एक पोत सुरक्षा प्रमाणपत्र जारी किया जाएगा।

(2) जलयान सुरक्षा प्रमाणपत्र एक स्वतंत्र प्रमाणपत्र के रूप में जारी किया जा सकेगा या अन्य लागू सुरक्षा सर्वेक्षण या संपरीक्षा प्रमाणपत्रों के साथ एकीकृत किया जा सकेगा, जैसा अधिनियम की धारा 301 के अधीन महानिदेशक द्वारा निर्देशित किया जाए।

(3) किसी देशी जलयान को इस संबंध में महानिदेशक द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार किसी सुरक्षा प्रमाण पत्र सर्वेक्षण (प्रारंभिक, वार्षिक, मध्यवर्ती या नवीनीकरण) के दौरान सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली संपरीक्षा से गुजरना होगा।

(4) संपरीक्षक, अन्य बातों के साथ-साथ, यह सत्यापित करेगा कि जलयान पर सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली की स्थापना और कार्यान्वयन, यह सुनिश्चित करते हुए कि कंपनी के लिए अनुपालन का देशी दस्तावेज उस जलयान के प्रकार पर लागू होता है:

परंतु इस बात का वस्तुनिष्ठ प्रमाण होना चाहिए कि कंपनी की सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली जलयान पर की गई आंतरिक संपरीक्षा के रिकॉर्ड सहित बोर्ड पर प्रभावी ढंग से काम कर रही है।

(5) प्रत्येक कंपनी द्वारा प्रबंधित जलयान के लिए अधिनियम के अधीन जारी विधिमान्य जलयान सुरक्षा प्रमाण पत्र की एक प्रति हमेशा कंपनी के प्रधान कार्यालय में उपलब्ध कराई जाएगी।

12. अनुपालन का अंतरिम दस्तावेज और अंतरिम सुरक्षा प्रबंधन प्रमाणपत्र--(1) मुख्य सर्वेक्षक द्वारा, प्ररूप-2 में,बारह मास से अनधिक के लिए विधिमान्य, अनुपालन का एक अंतरिम दस्तावेज, निम्नलिखित मामलों में संहिता के प्रारंभिक कार्यान्वयन की सुविधा के लिए जारी किया जाएगा, अर्थात्:--

(क) जहां कोई कंपनी नई स्थापित की गई है; या

(ख) जब कोई कंपनी किसी प्रकार के जलयान के संचालन की जिम्मेदारी लेती है जो उसके अनुपालन दस्तावेज के अंतर्गत नहीं आता है:

परंतु कंपनी यह प्रदर्शित करे कि उसके पास नियम 4 के उद्देश्यों को पूरा करने वाली कोई सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली है।

(2) छह मास से अनधिक के लिए विधिमान्य कोई अंतरिम सुरक्षा प्रबंधन प्रमाणपत्र, प्ररूप-1 में मुख्य सर्वेक्षक द्वारा निम्नलिखित मामलों में कोड के प्रारंभिक कार्यान्वयन की सुविधा के लिए जारी किया जाएगा, अर्थात्:--

(क) नए जलयान की सुपुर्दगी;

(ख) जब कोई कंपनी किसी ऐसे जलयानकी जिम्मेदारी लेती है, जो कंपनी के लिए नया है; या

(ग) जब कोई जलयान अपना ध्वज परिवर्तित करता है।

(3) एक अंतरिम सुरक्षा प्रबंधन प्रमाणपत्र यह सत्यापित करने के पश्चात् जारी किया जा सकेगा कि,--

(क) अनुपालन दस्तावेज या अंतरिम अनुपालन दस्तावेज जलयान पर लागू होता है;

(ख) जलयान के लिए कंपनी की सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली में अनुपालन के अंतरिम दस्तावेज के लिए संपरीक्षा के दौरान कोड के प्रमुख तत्व सम्मिलित हैं;

(ग) कंपनी ने तीन मास के भीतर जलयान की आंतरिक संपरीक्षा की योजना बनाई है;

(घ) जलयान के मास्टर और अधिकारी सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली और इसके नियोजित कार्यान्वयन से परिचित हैं;

(ङ) नौवहन से पहले आवश्यक निर्देशों की पहचान की गई है; और

(च) सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली के बारे में सुसंगतसूचना जलयान के कार्मिकों द्वारा समझी जाने वाली कार्य भाषा में दी गई है:

परंतु असाधारण परिस्थितियों में और कंपनी के प्रतिनिधित्व पर अंतरिम सुरक्षा प्रबंधन प्रमाणपत्र की विधिमान्यता को छह मास से अधिक की अतिरिक्त अवधि के लिए बढ़ाया जा सकेगा ।

13. संपरीक्षा और सत्यापन प्रक्रियाएं--(1) प्रत्येक कंपनी यह सत्यापित करेगी कि सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली प्रभावी ढंग से लागू और अनुरक्षित है, अपनी कंपनी और जलयानों की आंतरिक सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली संपरीक्षा कम से कम वार्षिक रूप से आयोजित करेगी।

(2) संपरीक्षा के निष्कर्ष और उसके सुधारात्मक कार्यों को प्रलेखित किया जाएगा और रखा जाएगा।

(3) बाहरी संपरीक्षा और सत्यापन, अधिनियम की धारा 8 के अधीन नियुक्त सर्वेक्षकों द्वारा या महानिदेशक द्वारा प्राधिकृत मान्यता प्राप्त संगठनों द्वारा किया जाएगा:

परंतु ऐसा सर्वेक्षक अधिनियम के अधीन सर्वेक्षण, लेखा परीक्षा और प्रमाणन से संबंधित बनाए गए नियमों के अनुसार योग्यता और प्रशिक्षण रखता हो।

(4) अनुपालन दस्तावेज को धारण करने वाली कंपनी को एक अधिकृत संपरीक्षक द्वारा वार्षिक बाहरी संपरीक्षा से गुजरना होगा और यह सुनिश्चित करना होगा कि सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली को प्रभावी ढंग से लागू किया जा रहा है, जिसमें अनुपालन दस्तावेज द्वारा कवर किए गए बोर्ड जलयान पर रिकॉर्ड और प्रक्रियाओं की समीक्षा सम्मिलित होगी।

(5) सुरक्षा प्रबंधन प्रमाणपत्र वाले प्रत्येक जलयान को किसी अधिकृत संपरीक्षक द्वारा समय-समय पर बाहरी संपरीक्षा से गुजरना होगा और यह सुनिश्चित करना होगा कि जलयान पर सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली का कार्यान्वयन प्रभावी बना हुआ है।

(6) यदि संपरीक्षा के दौरान कोई बड़ी गैर-अनुरूपता पाई जाती है, तो कंपनी तत्काल सुधारात्मक कार्रवाई करेगी और मामले को यथाशीघ्र संपरीक्षक द्वारा सत्यापित किया जाएगा और जब तक ऐसी सुधारात्मक कार्रवाई पूरी नहीं हो जाती है, तब तक कोई प्रमाण पत्र जारी या नवीनीकृत नहीं किया जाएगा।

(7) महानिदेशक यदि गंभीर गैर-अनुपालन का प्रमाण पाता है या यदि कोई बड़ी घटना घटित होती है, तो अतिरिक्त संपरीक्षा या सर्वेक्षण की अपेक्षा कर सकेगा ।

(8) सभी संपरीक्षा रिपोर्ट, प्रमाणपत्र, गैर-अनुरूपता के रिकॉर्ड और सुधारात्मक कार्रवाई कंपनी द्वारा रखी जाएगी और महानिदेशक या संपरीक्षकों को अपेक्षानुसार उपलब्ध कराई जाएगी।

14. निलंबन, निकासी और प्रमाणपत्रों का नवीनीकरण--(1) महानिदेशक, निम्नलिखित आधारों में से किसी पर अनुपालन के किसी दस्तावेज या अनुपालन के देशी दस्तावेज को निलंबित कर सकेगा, अर्थात् :--

(क) इन नियमों या सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली के उपबंधों का अनुपालन करने में असफलता ;

(ख) निर्धारित समय के भीतर सुधारात्मक कार्रवाई पूरी नहीं की जाती है;

(ग) एक आवधिक सत्यापन नहीं किया जाता है;

(घ) महानिदेशक द्वारा निर्दिष्ट निर्धारित समय के भीतर संहिता का अनुपालन करने में असफलता ;

(ङ) किसी प्रमुख गैर-अनुरूपता का प्रमाण उपलब्ध है:

परंतु निर्धारित समय के भीतर पिछले संपरीक्षा की गैर-अनुरूपता के संबंध में की गई कोई सुधारात्मक कार्रवाई प्रमुख गैर-अनुरूपता नहीं मानी जाएगी ।

(च) सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली में संशोधन को मुख्य सर्वेक्षक के ध्यान में नहीं लाया जाता है और संपरीक्षा के दौरान संपरीक्षक द्वारा सत्यापित नहीं किया जाता है।

(2) जहां उपनियम (1) में विनिर्दिष्ट आधार जारी रहते हैं और निलंबन के आदेश में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई सुधार नहीं किया जाता है, महानिदेशक, सुनवाई का अवसर देने के पश्चात्, आदेश द्वारा अनुपालन दस्तावेज या अनुपालन के देशी दस्तावेज को वापस ले सकेगा ।

(3) महानिदेशक, निम्नलिखित आधारों पर सुरक्षा प्रबंधन प्रमाणपत्र या पोत सुरक्षा प्रमाणपत्र, यथास्थिति, अमान्य घोषित कर सकेगा, अर्थात्:--

(क) नियम 13 के उपबंधों का अनुपालन करने में असफलता;

(ख) निर्धारित समय के भीतर सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की जाती है;

(ग) आवधिक सत्यापन नहीं किया गया है;

(घ) महानिदेशक द्वारा निर्दिष्ट निर्धारित समय के भीतर संहिता का अनुपालन करने में असफलता;

(ङ) कोई प्रमुख गैर-अनुरूपता का प्रमाण है:

परंतु निर्धारित समय के भीतर पिछले संपरीक्षा की गैर-अनुरूपता के संबंध में की गई कोई सुधारात्मक कार्रवाई प्रमुख गैर-अनुरूपता नहीं मानी जाएगी;

(च) सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली में संशोधन मुख्य सर्वेक्षक के ध्यान में नहीं लाया जाता है और संपरीक्षा के दौरान संपरीक्षक द्वारा सत्यापित नहीं किया जाता है; या

(छ) कोई अन्य कमियां या गैर-अनुरूपताएं, जो महानिदेशक द्वारा निर्दिष्ट की जा सकेंगी ।

(4) कंपनी, किसी कंपनी या उसके किसी जलयान के पास रखे गए किसी प्रमाण पत्र के स्वैच्छिक निलंबन या वापसी के लिए महानिदेशक को लिखित रूप में आवेदन कर सकेगी और निर्देशानुसार प्रमाण पत्र को सौंप सकेगी ।

(5) अनुपालन या सुरक्षा प्रबंधन प्रमाणपत्र का कोई दस्तावेज विधिमान्य होना बंद हो जाएगा, यदि जलयान की कंपनी या स्वामित्व में परिवर्तन होता है या यदि कंपनी या जलयान को बेचा या स्थानांतरित किया जाता है।

(6) यदि अनुपालन दस्तावेज या देशी अनुपालन दस्तावेज वापस ले लिया जाता है तो सभी संबंधित सुरक्षा प्रबंधन प्रमाणपत्र और जलयान सुरक्षा प्रमाणपत्र विधिमान्य होना बंद हो जाएंगे।

(7) इन नियमों के अधीन निलंबित किसी भी प्रमाण पत्र को केवल महानिदेशक के सत्यापन और समाधान के पश्चात् ही रद्द किया जा सकेगा कि निलंबन के आधार को ठीक कर दिया गया है।

15. मान्यता प्राप्त संगठन--(1) केंद्रीय सरकार,किसी मान्यता प्राप्त संगठन को पांच मास की अवधि के लिए या महानिदेशक द्वारा निर्दिष्ट अवधि के लिए, पूर्ण अवधि का प्रमाणपत्र मुख्य सर्वेक्षक द्वारा जारी किए जाने तक संहिता के अधीन संपरीक्षा पूरा होने के पश्चात् अपनी ओर से सुरक्षा प्रबंधन प्रमाणपत्र जारी करने के लिए अधिकृत कर सकेगी ।

(2) कोई सुरक्षा प्रबंधन प्रमाणपत्र किसी मान्यता प्राप्त संगठन द्वारा केवल तभी जारी किया जा सकेगा, जब कोई बड़ी गैर-अनुरूपता न हो और संपरीक्षक औपचारिक रूप से जलयान के प्रमाणन की सिफारिश करता है।

16. संपरीक्षा से संबंधित कंपनी की बाध्यताएं--(1) कंपनी, जिसमें उसका प्रबंधन, अधिकारी और नाविक सम्मिलित हैं, का उत्तरदायित्व होगा कि वह संहिता के अनुपालन के अतिरिक्त सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण से संबंधित भारतीय विधियों और लागू अंतरराष्ट्रीय कानूनों का निरंतर अनुपालन करे।

(2) कंपनी का यह कर्तव्य होगा कि वह,--

(क) कंपनी के कर्मचारियों को प्रत्येक संपरीक्षा के उद्देश्यों और दायरे के बारे में परिचित करें;

(ख) संपरीक्षक की सहायता के लिए उत्तरदायी कर्मचारियों को नियुक्त करें;

(ग) कोई प्रभावी और कुशल सत्यापन प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए संपरीक्षक द्वारा आवश्यक सुसंगत दस्तावेज, रिकॉर्ड और सूचना प्रदान करें;

(घ) संपरीक्षक द्वारा अनुरोध किए जाने पर पहुंच और प्रयोजन प्रमाण प्रदान करें; और

(ङ) यह सुनिश्चित करने के लिए संपरीक्षक के साथ सहयोग करें कि संपरीक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त किया गया है ।

(3) सत्यापन या संपरीक्षा में भाग लेने वाले सभी कार्मिकों को प्रमाणन से संबंधित दस्तावेजों की गोपनीयता सुनिश्चित करेंगे ।

17. शास्तियां और प्रवर्तन--(1) इननियमों का कोई उल्लंघन या उनकी किसी अपेक्षा का अनुपालन करने में असफलता अधिनियम में निर्दिष्ट दंड के अधीन होगी।

(2) कोई व्यक्ति, जो इन नियमों के उपबंधों के उल्लंघन में किसी जलयान का प्रचालन करता है और जिसके लिए अधिनियम की धारा 281 की उपधारा (2) के अधीन किसी दंड का उपबंध नहीं किया गया है, दंड के लिए जो पचास हजार रुपये तक हो सकेगा, और यदि उल्लंघन निरंतर जारी रहता है,तो ऐसी अतिरिक्त शास्ति से, जो पहले दिन के पश्चात्, ऐसे प्रत्येक दिन के लिए, जिसके दौरान उल्लंघन जारी रहता है, पांच हजार रुपये तक की हो सकेगी, दायी होगा ।

(3) इन नियमों के अधीन किसी दंड के अधिरोपण या जलयान के निरोधक जलयान के मालिक या मास्टर को अनुपालन में कमी को सुधारने से मुक्त नहीं करता है और सभी कमियों को जलयान के प्रचालन को फिर से आरंभ करने से पहले ठीक किया जाएगा।

18. अपील--(1) इन नियमों के अधीन की गई किसी कार्रवाई से व्यथित कोई व्यक्ति, ऐसी कार्रवाई से तीस दिनों के भीतर मुख्य सर्वेक्षक के समक्ष लिखित में अपील दायर कर सकेगा ।

(2) मुख्य सर्वेक्षक अपील की सुनवाई करेगा और अपील प्राप्त होने की तारीख से तीस दिनों की अवधि के भीतर आदेश पारित करेगा।

(3) इन नियमों के अधीन ऐसा कोई आदेश तब तक पारित नहीं किया जाएगा, जब तक पक्षकारों को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान नहीं किया गया हो।

(4) यदि अपील किसी निलंबन या प्रमाण पत्र के रद्द होने के विरूद्ध है और अपील स्वीकार कर ली जाती है, तो प्रमाण पत्र को विधिमान्यता की निरंतरता के साथ, यथास्थिति, बहाल या पुनः जारी किया जा सकेगा ।

प्ररूप - 1

[नियम 12 (2) देखें]

अंतरिम सुरक्षा प्रबंधन प्रमाणपत्र

[भारत सरकार के मुख्य सर्वेक्षक द्वारा नियम 12 के उपनियम (2) के अधीन और यथासंशोधित समुद्र में जीवन की सुरक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, 1974 के उपबंधों के अनुसार जारी किया गया]

पोत का नाम:
विशिष्ट संख्या या अक्षर:
रजिस्ट्री का बंदरगाह:
पोत का प्रकार *. :
सकल टन भार:
आईएमओ संख्या:
कंपनी का नाम और पता:

कंपनी की पहचान नं:
यह प्रमाणित किया है कि आई एस एम कोड के पैरा14.4 की अपेक्षाओंको पूरा किया गया है और कंपनी का अनुपालन का दस्तावेज़/अंतरिम अनुपालन दस्तावेज़ ** पोत के लिए प्रासंगिक है।
यह अंतरिम सुरक्षा प्रबंधन प्रमाणपत्र की वैधता की अवधि दस्तावेज़/अनुपालन के अंतरिम दस्तावेज़** के अधीन शेष रहने तक वैधता है। अनुपालन केसत्यापन की पूर्णता तारीख जिस पर यह प्रमाणपत्र आधारित है _____
जारी किया गया
जारी करने की तारीख
प्रमाणपत्र संख्या .....

मुख्य सर्वेक्षक,भारत सरकार
समुद्री प्रशासन महानिदेशालय,
मुंबई

(जारी करने वाले प्राधिकारी की सील या मुहर)

---

* निम्नलिखित में से किसी एक प्रकार का पोत अंत:स्थापित करें : यात्री पोत : यात्री हाई-स्पीड क्राफ्ट: कार्गो हाई-स्पीड क्राफ्ट: बल्क कैरियर: तेल टैंकर: केमिकल टैंकर: गैस वाहक: मोबाइल अपतटीय ड्रिलिंग इकाई: अन्य कार्गो पोत ।
**उचित को हटा दें ।

इस अंतरिम सुरक्षा प्रबंधन प्रमाणपत्र की वैधता को . तक बढ़ाया गया है।
विस्तार की तारीख.....।

मुख्य सर्वेक्षक, भारत सरकार
समुद्री प्रशासन महानिदेशालय मुंबई

(जारी करने वाले प्राधिकारी की सील या मुहर)

प्ररूप - 2

[नियम 12(1) देखें]

अनुपालन का अंतरिम दस्तावेज़

[भारत सरकार के मुख्य सर्वेक्षक द्वारा नियम 12 के उपनियम (1) के अधीन और यथासंशोधित समुद्र में जीवन की सुरक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, 1974 के उपबंधों के अनुसार जारी किया गया]

कंपनी का नाम और पता: .....

कंपनी पहचान संख्या: .....।

यह प्रमाणित किया जाता है कि कंपनी की सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली को पोतों के सुरक्षित संचालन के लिए और प्रदूषण निवारण के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रबंधन संहिता (आईएसएम कोड) के पैरा 1.2.3 के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए के लिए नीचे सूचीबद्ध पोतों के प्रकार (प्रकारों) के लिए मान्यता दी गई है:

(उचित को हटा दें)

यात्री पोत

यात्री हाई-स्पीड क्राफ्ट

कार्गो हाई-स्पीड क्राफ्ट

थोक वाहक

तेल टैंकर

रासायनिक टैंकर

गैस वाहक

मोबाइल अपतटीय ड्रिलिंग इकाई

अन्य मालवाहक पोत

अनुपालन का यह अंतरिम दस्तावेज _____ तक वैध है

सत्यापन की पूर्णता तारीख जिस पर यह प्रमाणपत्र आधारित है

जारी किया गया .....

जारी करने की तारीख .....

प्रमाणपत्र संख्या _____

मुख्य सर्वेक्षक, भारत सरकार

समुद्री प्रशासन महानिदेशालय मुंबई

(जारी करने वाले प्राधिकारी की सील यामुहर)

प्ररूप - 3

[नियम 9(1) देखें]

सुरक्षा प्रबंधन प्रमाणपत्र

[भारत सरकार के मुख्य सर्वेक्षक द्वारा नियम 9 के उपनियम (1) के अधीन और यथासंशोधित समुद्र में जीवन की सुरक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, 1974 के उपबंधों के अनुसार जारी किया गया]

पोत का नाम:
विशिष्ट संख्या या अक्षर:
रजिस्ट्री का बंदरगाह:
पोत का प्रकार *
सकल टन भार:
आईएमओ संख्या:
कंपनी का नाम और पता:
कंपनी पहचान संख्या:……
यह प्रमाणित किया जाता है कि पोत की सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली का लेखा परीक्षण किया गया है और सत्यापन के पश्चात् कि कंपनी के लिए अनुपालन का दस्तावेज़ इस प्रकार के पोत पर लागू होता है,यह पोतों के सुरक्षित संचालन और प्रदूषण निवारण के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रबंधन संहिता (आईएसएम कोड) की अपेक्षाओंका अनुपालन करता है।
यह सुरक्षा प्रबंधन प्रमाणपत्र की वैधता की अवधि सत्यापन और अनुपालन दस्तावेज़ की वैधता के अधीन रहते हुए_____तकहै, आवधिक बनी रहेगी।
सत्यापन की पूर्णता तारीख जिस पर यह प्रमाणपत्र आधारित है _____
जारी किया गया
जारी करने की तारीख
प्रमाणपत्र संख्या……..

मुख्य सर्वेक्षक, भारत सरकार
समुद्री प्रशासन महानिदेशालय मुंबई

(जारी करने वाले प्राधिकारी की सील यामुहर)

* निम्नलिखित में से किसी एक प्रकार का पोत अंत:स्थापित करें : यात्री पोत : यात्री हाई-स्पीड क्राफ्ट: कार्गो हाई-स्पीड क्राफ्ट: बल्क कैरियर: तेल टैंकर: केमिकल टैंकर: गैस वाहक: मोबाइल अपतटीय ड्रिलिंग इकाई: अन्य कार्गो पोत ।
प्रमाणपत्र संख्या ……..
मध्यवर्ती सत्यापन और अतिरिक्त सत्यापन का पृष्ठांकन (यदि अपेक्षित हो)
यह प्रमाणित किया जाता है कि विनियम 6.1, कन्वेंशन के अध्याय 9 और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा प्रबंधन संहिता के पैरा 13.8 के अनुसार, मध्यवर्ती सत्यापन में, सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली को आई एस एम कोड की अपेक्षाओंका अनुपालन करते हुए पाया गया।
मध्यवर्ती सत्यापन ____
(दूसरी और तीसरी वर्षगांठ की तारीख के बीच पूरा किया जाना है) (प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर)
स्थान……
तारीख……
(मुहर)
अतिरिक्त सत्यापन*
हस्ताक्षरित
(प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर)
स्थान
तारीख……

(मुहर)
अतिरिक्त सत्यापन*
हस्ताक्षरित
(प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर)
स्थान
तारीख……
(मुहर)
अतिरिक्त सत्यापन*
हस्ताक्षरित.,-
(प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर)
स्थान
(मुहर) ____

*यदि लागू हो। संगठन द्वारा संकल्प ए.1118(33) द्वारा अंगीकृत किए गए अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा प्रबंधन (आईएसएम) कोड के कार्यान्वयन पर पुनरीक्षित दिशानिर्देशों की धारा 3.2 "प्रारंभिक सत्यापन" के प्रासंगिक उपबंधों का संदर्भ दिया गया है।

प्रमाणपत्र संख्या ……..

पृष्ठांकन जहां नवीनीकरण सत्यापन पूरा हो चुका है और आई एस एम कोड का भाग ख13.13 लागू होता है

पोत आई एस एम कोड के भाग ख के प्रासंगिक उपबंधों का अनुपालन करता है, और आई एस एम कोड के भाग ख13.13 के अनुसार, प्रमाण पत्र को _____ तक वैध रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए ।

हस्ताक्षरित……

(अधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर)

स्थान……
तारीख……
(मुहर)

प्रमाण-पत्र की वैधता को सत्यापन के बंदरगाह तक पहुंचने तक बढ़ाने के लिए पृष्ठांकन जहां आई एस एम कोड का भाग ख13.12 लागू होता है या अनुग्रह की अवधि के लिए जहां आई एस एम कोड का भाग ख13.14 लागू होता है

यह प्रमाणपत्र, आई एस एम कोड के भाग ख13.12 या भाग ख13.14 के अनुसार, _____ तक वैध स्वीकार किया जाना चाहिए।

हस्ताक्षरित…….

(प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर)

स्थान
तारीख
(मुहर)

प्ररूप - 4

[नियम 8(1) देखें]

अनुपालन का दस्तावेज़

[भारत सरकार के मुख्य सर्वेक्षक द्वारा नियम 8 के उपनियम (1) के अधीन और यथासंशोधित समुद्र में जीवन की सुरक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, 1974 के उपबंधों के अनुसार जारी किया गया]

कंपनी का नाम और पता: …….
कंपनी पहचान संख्या:……
यह प्रमाणित करने के लिए है कि कंपनी की सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली का लेखा परीक्षण किया गया है और यह नीचे सूचीबद्ध पोतों के प्रकार के लिए पोतों के सुरक्षित संचालन और प्रदूषण निवारण के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रबंधन संहिता (आईएसएम कोड) की अपेक्षाओंका अनुपालन करती है,: (उचित को हटा दें)

यात्री पोत
यात्री हाई-स्पीड क्राफ्ट
कार्गो हाई-स्पीड क्राफ्ट
थोक वाहक
तेल टैंकर
रासायनिक टैंकर
गैस वाहक
मोबाइल अपतटीय ड्रिलिंग इकाई
अन्य मालवाहक पोत

अनुपालन का यह दस्तावेज़ आवधिक सत्यापन के अधीन, _____ तक वैध है।

सत्यापन की पूर्णता तारीख जिस पर यह प्रमाणपत्र आधारित है _____

……जारी किया गया

जारी करने की तारीख_____

प्रमाणपत्र संख्या

…….

मुख्य सर्वेक्षक, भारत सरकार

समुद्री प्रशासन महानिदेशालय मुंबई

(जारी करने वाले प्राधिकारी की सील या मुहर)

प्रमाणपत्र संख्या

वार्षिक सत्यापन के लिए पृष्ठांकन

यह प्रमाणित किया जाता है कि, कन्वेंशन के विनियम 6.1 अध्याय 9 और आई.एस.एम. संहिता के पैरा13.4 के अनुसार आवधिक सत्यापन में, सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली को उक्त संहिता की अपेक्षाओं का अनुपालन करते हुए पाया गया।

पहला वार्षिक सत्यापन

हस्ताक्षरित.....
(प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर)
स्थान.....
तारीख.....

(मुहर)

दूसरा वार्षिक सत्यापन

हस्ताक्षरित.....
(प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर)
स्थान.....
तारीख.....

(मुहर)

तीसरा वार्षिक सत्यापन

हस्ताक्षरित.....
(प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर)
स्थान.....
तारीख.....

(मुहर)

चौथा वार्षिक सत्यापन

हस्ताक्षरित
(प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर)
स्थान.....
तारीख.....

(मुहर)

प्ररूप -5

[नियम 10(2) देखें]

अनुपालन का घरेलू दस्तावेज़

[मुख्य सर्वेक्षक,भारत सरकार द्वारा नियम 10 के उपनियम (2) के अधीन जारी किया गया]

कंपनी का नाम और पता:…….

कंपनी पहचान संख्या:……

यह प्रमाणित किया जाता है कि कंपनी की सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली का लेखा परीक्षण किया गया है और यह नीचे सूचीबद्ध घरेलू पोतों के प्रकारों के लिएपोतों के सुरक्षित संचालन और प्रदूषण निवारण के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रबंधन संहिता (आईएसएम कोड) की अपेक्षाओंका अनुपालन करती है:

(1) …….

(2) ……

अनुपालन का यह घरेलू दस्तावेज़ आवधिक सत्यापन के अधीन, _____ तक वैध है

सत्यापन की पूर्णता तारीख जिस पर यह प्रमाणपत्र आधारित है _____

……जारी किया

जारी करने की तारीख……

प्रमाणपत्र संख्या……

मुख्य सर्वेक्षक, भारत सरकार

समुद्री प्रशासन महानिदेशालय मुंबई

(जारी करने वाले प्राधिकारी की सील यामुहर)

प्रमाणपत्र संख्या

आवधिक सत्यापन के लिए पृष्ठांकन

यह प्रमाणित किया जाता है किआवधिक सत्यापन परनियम 10 के उपनियम (3) के खंड (ख) के अनुसार है।

मध्यवर्ती सत्यापन

……..…..

(प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर)

स्थान……

तारीख……

(मुहर)

अतिरिक्त सत्यापन

……..…..

(प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर)

स्थान……

तारीख……

(मुहर)

अतिरिक्त सत्यापन

……..…..

(प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर)

स्थान……

तारीख……

(मुहर)

अतिरिक्त सत्यापन

……..…..

(प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर)

स्थान……

तारीख……

(मुहर)

[फा. सं. SY-19014/199/2025-MG-Part(13)]

मुकेश मंगल, अपर सचिव

MINISTRY OF PORTS, SHIPPING AND WATERWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th July, 2026

G.S.R. 589(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clauses (a) and (b) of sub-section (2) of section 130 of the Merchant Shipping Act, 2025 (24 of 2025), and in supersession of the Merchant Shipping (Management for the Safe Operation of Ships) Rules, 2000 except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby makes the following rules, namely:-

1. Short title and commencement. - (1) These rules may be called the Merchant Shipping (Safety Management) Rules, 2026.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Application. – These rules shall apply to the Indian vessels and to companies operating, -

(a) passenger ships including passenger high-speed crafts, of any size;

(b) oil tankers, chemical tankers, gas carriers, bulk carriers, and cargo high-speed crafts of 500 gross tonnage or more;

(c) other cargo vessels and mobile offshore drilling units of 500 gross tonnage or more;

(d) domestic vessels of 500 gross tonnage or more.

3. Definitions. - (1) In these rules, unless the context otherwise requires, –

(a) "Act" means the Merchant Shipping Act, 2025 (24 of 2025);

(b) "auditor" means any surveyor appointed under section 8, or any person authorised under section 9 or sub-section (2) of section 129, or sub-section (2) of section 144 of the Act for the purposes of conducting audits of vessels and companies in accordance with the provisions of the Act and these rules;

(c) "bulk carrier" means a vessel constructed generally with a single deck, top-side tanks and hopper side tanks in cargo spaces, intended primarily to carry dry cargo in bulk, and includes ore carriers and combination carriers;

(d) "chemical tanker" means a cargo vessel constructed or adapted for the carriage of any hazardous product listed in Chapter 17 of the International Bulk Chemical Code, as amended;

(e) "Code" means the International Safety Management Code, as amended from time to time for the safe operation of ships and pollution prevention, as adopted by the International Maritime Organisation;

(f) "company" means a company defined under clause (a) of section 115 of the Act;

(g) "designated person ashore" means a person ashore with direct access to the highest level of management of the company, charged with the responsibility and authority to monitor the safety and pollution-prevention aspects of the operation of each vessel;

(h) "Document of Compliance" means a certificate of compliance issued to a company that complies with the requirements of the Code, by an officer authorised by the Director-General who is not below the rank of deputy chief surveyor with the Government of India;

(i) "domestic vessel" means any Indian vessel that operates in the coastal waters;

(j) "Domestic Document of Compliance" means the Document of Compliance issued to a company under sub-rule (1) of rule 10, by an officer authorised by the Director- General, not below the rank of deputy chief surveyor with the Government of India;

(k) "Form" means forms annexed to these rules;

(l) "gas carrier" means a cargo vessel constructed or adapted for the carriage in bulk of any liquefied gas or other product listed in the International Gas Carrier Code;

(m) "high speed craft" means a craft capable of maximum speed (in meters per second) equal to or exceeding $3.7 \times V^{\wedge 0.1667}$, where V is the volume of displacement corresponding to the design waterline;

(n) "Internal Safety Management System Audit" means a systematic and independent verification process carried out by the company, as part of its management function, to determine whether the safety management system activities and related results are in compliance with the safety management system requirements of the company;

(o) "International Maritime Organization" or "IMO" means a specialised agency of the United Nations entrusted with responsibility for regulating international shipping, including matters relating to maritime safety and security and the prevention of pollution from ships;

(p) "major non-conformity" means an identifiable deviation that poses a serious threat to the safety of personnel or the vessel or a serious risk to the environment, requiring immediate corrective action or the lack of effective and systematic implementation of a requirement of the Code;

(q) "mobile offshore drilling unit" means a vessel capable of being engaged in drilling operations for the exploration or exploitation of seabed mineral resources;

(r) "non-conformity" means an observed situation where objective evidence indicates the non-fulfillment of a specified requirement of the Code;

(s) "objective evidence" means quantitative or qualitative information, records or statements of fact pertaining of safety or to the existence and implementation of a safety management system element, which is based on observation, measurement or test and which can be verified;

(t) "observation" means a statement of fact made during a safety management audit and substantiated by objective evidence**;**

(u) "oil tanker" means a vessel constructed or adapted primarily to carry oil in bulk in its cargo spaces, including combination carriers;

(v) "recognised organisation" means a society or a body authorised by the Central Government for the purpose of performing statutory surveys, audits, inspections, approvals and certification functions on behalf of the Central Government under section 9 of the Act;

(w) "safety management audit" means a systematic and independent examination to determine whether the safety management system activities and related results comply with planned arrangements, and whether these arrangements are implemented effectively and are suitable to achieve the objectives;

(x) "Safety Management Certificate" means a document issued to a ship by an officer authorised by the Director-General, who is not below the rank of deputy chief surveyor with the Government of India, after verifying and having satisfied that the company and its shipboard management operate in accordance with the approved safety management system;

(y) "safety management system" means a structured and documented system enabling company personnel to effectively implement the company's safety and environment protection policy.

(2) The words and expressions used and not defined in these rules and but defined in the Act shall have the meanings respectively assigned to them in the Act.

4. Criteria for verification. – (1) The Director-General shall verify continued compliance by the company with the requirements of the Code, taking into consideration the following criteria, namely: –

(a) the company's safety management system conforms with the requirements of the Code; and

(b) the safety management system ensures compliance with–

(i) the applicable rules and regulations; and

(ii) the applicable code, guidelines and standards recommended by the IMO and the Central Government.

(2) The Director-General may require any company to provide documentary evidence demonstrating compliance with the applicable procedures and instructions, and the company shall provide objective evidence of their implementation.

5. Obligations of company. – The company shall–

(a) establish, implement and maintain a safety management system in accordance with the Code which shall be documented in a safety management manual, as may be approved by the Director-General;

(b) ensure compliance with all applicable safety, environmental and statutory requirements including safety of life, prevention of injury or loss of life, avoidance of damage to the environment and to property, and continual improvement of safety management skills of personnel;

(c) ensure resources and shore-based support to maintain and implement the safety management system and provide the necessary personnel, equipment, procedures and financial resources for the safe operation of vessels and pollution prevention;

(d) ensure that its vessels are managed in accordance with the safety management system and that masters and crew are properly qualified, trained and familiar with the relevant provisions of the safety management system and their duties under it;

(e) establish and maintain procedures for internal safety management system audits at intervals not exceeding twelve months, to verify compliance with the safety management system, and shall ensure that corrective actions are taken for any non-conformities identified during such audits:

Provided that in exceptional circumstances, the aforesaid interval may be extended for such period not exceeding three months.

6. Safety Management System requirements. – Every company shall–

(a) develop and maintain safety and environment protection policy to achieve the following objectives, namely: –

(i) ensuring safety at sea, prevention of human injury or loss of life, and avoidance of damage to the environment particularly the marine environment and to property;

(ii) providing safe practices in vessel operations and a safe working environment;

(iii) establishing safeguards against all identified risks including cyber risks; and

(iv) improving safety management skills of personnel ashore and onboard vessels, including preparing for emergencies related to safety and environmental protection.

(b) lay down clear lines of responsibility, authority, and communication within the company and between vessel and shore personnel, including identification of the designated person ashore with access to the highest level of management;

(c) lay down procedures for reporting accidents, hazardous occurrences, non-conformities and near misses, and for implementing and recording corrective and preventive actions;

(d) lay down procedures for internal safety management system audits and management reviews at appropriate intervals, to ensure that the safety management system is effectively maintained and continually improved;

(e) lay down procedures for emergency preparedness, including drills, exercises and contingency plans for emergencies such as fire, collision, grounding or other incidents;

(f) lay down requirements for documentation and record-keeping, including a safety management manual containing the safety management system and the instructions, procedures and records necessary for the safe operation of the vessel and for compliance with the Code and these rules;

(g) develop a program for verifying the compliance of each vessel and the company with mandatory requirements of relevant international conventions, national laws and regulations, including procedures to address any deficiencies.

7. Designated person ashore and alternate designated person ashore. - (1) Every company shall designate a person ashore as the designated person ashore responsible for ensuring the safe operation of each vessel and for providing a link between the vessel and shore-based management.

(2) The designated person ashore shall have direct access to the highest level of management of the company and shall be provided with the authority, resources and support necessary to carry out the duties required under the safety management system.

(3) The company shall also nominate an alternate designated person ashore who shall assume the duties of the designated person ashore in his absence.

(4) The company shall provide the Director-General with the name and contact details of the designated person ashore and alternate designated person ashore and any changes thereto without delay.

(5) The designated person ashore and alternate designated person ashore shall not be assigned other duties that would conflict with their responsibilities for safety and pollution prevention.

(6) The qualifications, training, and experience required for appointment of the designated person ashore and the alternate designated person ashore shall be in accordance with the rules made under the Act dealing with survey, audit and certification.

8. Document of Compliance. - (1) A Document of Compliance shall be issued by the chief surveyor in Form-4, to a company after an initial verification of compliance with the requirements of the Code in the following manner, namely: -

(a) the auditor shall verify that the establishment and implementation of the Safety Management System meet the objectives specified in rule 4 and on satisfactory completion of such verification the auditor shall present a report to the Director-General; and

(b) where the report is found satisfactory, the chief surveyor shall issue a Document of Compliance which shall be valid for five years from the date of assessment or from the date of satisfactory closure of any major non-conformities.

(2) The Document of Compliance shall be valid for the type of vessels for which the initial verification was conducted and–

(a) may be extended to cover additional types of vessels after verification that the company has complied with the requirements of the Code for such additional types of vessels;

(b) shall be subject to annual verification by auditors, within three months before or after each anniversary of its issuance to confirm the effective functioning of the safety management system in the company; and such verification shall include examining and verifying the correctness of statutory and classification records for at least one vessel of each type covered by the Document of Compliance, and verifying corrective actions and modifications to the safety management system carried out since the previous verification;

(c) the vessel types indicated on the Document of Compliance, including any interim Document of Compliance or limitations may be endorsed therein.

(3) Renewal verification of a Document of Compliance shall be carried out within three months immediately preceding its expiry.

(4) A Document of Compliance shall not be issued, endorsed or renewed unless all major non-conformities have been fully rectified by the company and verified by the auditor.

(5) A copy of the Document of Compliance shall be kept on board each vessel covered under the Document of Compliance and the master shall produce it for verification by the surveyor appointed under section 8 of the Act or any person authorised in this behalf or for the purposes of the control referred to in regulation IX/6.2 of International Convention for the Safety of Life at Sea, 1974.

9. Safety Management Certificate. - (1) A Safety Management Certificate shall be issued by the chief surveyor in Form 3, to a vessel after an initial verification of compliance with the Code in the following manner, namely: –

(a) the auditor shall verify the safety management system on board the vessel is established and implemented, and ensure that the Document of Compliance for the company is applicable to that ship type;

(b) there must be objective evidence that the company's safety management system has been functioning effectively for at least three months on board the vessel; and

(c) if a satisfactory safety management system is found on board, the auditor shall submit a declaration to the Director-General recommending issuance of a Safety Management Certificate to the vessel.

(2) A copy of the valid Safety Management Certificate issued to the vessel shall always be made available at the company's head office.

(3) The issue of a Safety Management Certificate shall be subject to–

(a) having a valid Document of Compliance for that type of vessel;

(b) compliance with rule 4; and

(c) having valid certificates required under the conventions.

(4) A Safety Management Certificate shall not be issued, endorsed or renewed unless all major non-conformities have been rectified on the vessel by the company and verified by the auditor:

Provided that a Safety Management Certificate may be issued, endorsed or renewed pending rectification of non-conformities, provided such rectification is completed within a period not exceeding three months as may be agreed between the company and the auditor, if the non-conformities could not be rectified for reasons beyond the company's control.

(5) The period of validity of a Safety Management Certificate shall be five years, subject to at least one intermediate verification confirming effective functioning of the safety management system and that any modifications carried out since the previous verification comply with the Code.

(6) A Safety Management Certificate shall be issued from the date of completion of assessment if there are no major non-conformities, or from the date of satisfactory rectification of any major non-conformities, as deemed fit by the chief surveyor.

(7) Upon satisfactory completion of the renewal verification, the renewed Safety Management Certificate shall be issued which shall be valid for a period not exceeding five years from the date of expiry of the previous Safety Management Certificate.

(8) Where a vessel is not in a port and its Safety Management Certificate expires, the chief surveyor may extend the validity of the Safety Management Certificate only for the purpose of allowing the vessel to complete its voyage to the port of verification and only if deemed proper and reasonable to do so.

(9) No Safety Management Certificate shall be extended for more than three months and a vessel to which an extension is granted shall not, on arrival at the port of verification, depart without having a renewed Safety Management Certificate.

10. Domestic Document of Compliance. - (1) A Domestic Document of Compliance shall be issued to a company in respect of domestic vessels subject to compliance by the company with the applicable provisions of these rules:

Provided that the types and categories of such vessels, and the alternative or modified safety management requirements applicable to them for the purpose of issuance of a Domestic Document of Compliance shall be as specified by the Director-General under section 301 of the Act.

(2) A Domestic Document of Compliance shall be issued by the chief surveyor in Form 5 to a Company after an initial verification of compliance with the requirements of the Code and the applicable law.

(3) The Domestic Document of Compliance shall be valid for the type of domestic vessels on which the initial verification was based and–

(a) may be extended to additional domestic vessel types after verifying the company's capability to comply with the requirements under sub-rule (1);

(b) shall be subject to intermediate verification by auditors, within six months before or after the mid-term date of a five-year term, to confirm the effective functioning of the safety management system in the company, including examining and verifying the statutory and classification records for at least one vessel of each type covered by the Domestic Document of Compliance and verifying corrective actions and modifications to the safety management system since the previous verification;

(c) the vessel types indicated on the Domestic Document of Compliance may be endorsed to reflect any limitations in the operations of the vessels specified in the safety management system.

(4) Renewal verification of a Domestic Document of Compliance shall be carried out within three months immediately preceding its expiry.

(5) A Domestic Document of Compliance shall not be issued, endorsed or renewed unless all major non-conformities have been fully rectified by the company and verified by the auditor.

(6) A copy of the Domestic Document of Compliance shall be placed on board each vessel covered under such Domestic Document of Compliance so that the master may produce it for verification by the surveyor appointed under section 8 of the Act or any other person authorised in this behalf.

(7) For inclusion of any new category of domestic vessel, the company shall undergo an additional verification audit and upon satisfactory completion, the auditor shall report to the Director-General recommending inclusion of the new category vessel in the company's existing Domestic Document of Compliance.

11. Ship Safety Certificate. - (1) In the case of domestic vessel managed by a company holding a valid Domestic Document of Compliance, a Ship Safety Certificate shall be issued, upon verification of compliance with the applicable safety management requirements.

(2) The Ship Safety Certificate may be issued as an independent certificate or may be integrated with other applicable safety survey or audit certificates, as may be directed by the Director- General under section 301 of the Act.

(3) A domestic vessel shall undergo a safety management system audit during any safety certificate survey (initial, annual, intermediate or renewal) in accordance with the guidelines as may be issued by the Director-General in this behalf.

(4) The auditor shall, *inter alia,* verify that the establishment and implementation of the safety management system on board, ensuring that the Domestic Document of Compliance for the Company is applicable to that vessel type:

Provided that there must be objective evidence that the company's safety management system has been functioning effectively on board, including records from internal audits carried out on the vessel.

(5) A copy of the valid Ship Safety Certificate issued under the Act for each company-managed vessel shall always be made available at the company's head office.

12. Interim Document of Compliance and Interim Safety Management Certificate. - (1) An Interim Document of Compliance, valid for not more than twelve months, shall be issued by the chief surveyor in Form-2, to facilitate initial implementation of the Code in the following cases, namely :-

(a) where a company is newly established; or

(b) when a company takes responsibility for operating a type of vessel not covered under its Document of Compliance:

Provided that the Company demonstrates that it has a Safety Management System meeting the objectives of rule 4.

(2) An Interim Safety Management Certificate, valid for not more than six months, shall be issued by the chief surveyor in Form-1, to facilitate initial implementation of the Code in the following cases, namely :-

(a) new vessels on delivery;

(b) when a company takes responsibility for a vessel which is new to the company; or

(c) when a vessel changes its flag.

(3) An Interim Safety Management Certificate may be issued after verifying that, -

(a) the Document of Compliance or Interim Document of Compliance is applicable to the vessel;

(b) the company's safety management system for the vessel includes key elements of the Code and was assessed during the audit for the Interim Document of Compliance;

(c) the company has planned the internal audit of the ship within three months;

(d) the ship's master and officers are familiar with the safety management system and its planned implementation;

(e) identified essential instructions have been provided before sailing; and

(f) relevant information on the Safety Management System has been given in a working language understood by the ship's personnel:

Provided that, in exceptional circumstances and upon representation by the company the validity of the Interim Safety Management Certificate may be extended for an additional period not exceeding six months.

13. Audits and verification procedures. - (1) Each company shall conduct internal safety management system audits of their company and vessels at least annually to verify that the safety management system is effectively implemented and maintained.

(2) The findings of the audit and corrective actions thereof shall be documented and retained.

(3) External audits and verifications shall be carried out by the surveyors appointed under section 8 of the Act or by recognised organisations' authorised by the Director-General:

Provided that such surveyor possesses the qualification and training in accordance with the rules made under the Act dealing with survey, audit and certification.

(4) A company holding a Document of Compliance shall undergo annual external audits by an authorised auditor to confirm that the Safety Management System is being effectively implemented which shall include review of records and procedures on board vessel covered by the Document of Compliance.

(5) Each vessel with a Safety Management Certificate shall undergo periodic external audits by an authorised auditor to confirm that the shipboard implementation of the safety management system remains effective.

(6) If any major non-conformity is identified during an audit, the company shall take immediate corrective action and the matter shall be verified by the auditor as early as possible and no certificate shall be issued or renewed until such corrective action is completed.

(7) The Director-General may require additional audits or surveys if there is evidence of serious non-compliance or if a major incident occurs.

(8) All audit reports, certificates, records of non-conformities and corrective actions shall be retained by the company and made available to the Director-General or auditors as required.

14. Suspension, withdrawal, and renewal of certificates. - (1) The Director-General may suspend any Document of Compliance or Domestic Document of Compliance, as the case may be, on any of the following grounds, namely:-

(a) failure to comply with these rules or the provisions of the safety management system;

(b) corrective actions are not completed within the stipulated time;

(c) a periodical verification is not done;

(d) failure to comply with the Code within the stipulated time specified by the Director-General;

(e) there is evidence of a major non-conformity:

Provided that no corrective action taken with regard to non-conformity of a previous audit within the stipulated time, shall be deemed to be a major non-conformity;

(f) modification to the Safety Management System is not brought to the notice of the chief surveyor and verified by the auditor during the course of the audit.

(2) Where the grounds specified in sub-rule (1) continue and no correction is made within the period specified in the order of suspension, the Director-General may, after giving an opportunity of being heard, by order withdraw the Document of Compliance or the Domestic Document of Compliance.

(3) The Director-General may declare a Safety Management Certificate or Ship Safety Certificate, as the case may be, invalid on the following grounds, namely:-

(a) failure to comply with the provisions of rule 13;

(b) corrective actions are not taken within the stipulated time;

(c) periodical verification is not done;

(d) failure to comply with the Code within the stipulated time specified by the Director-General;

(e) there is evidence of a major non-conformity:

Provided that no corrective action taken with regard to non-conformity of a previous audit within the stipulated time, shall be deemed to be a major non-conformity;

(f) modification to the Safety Management System is not brought to the notice of the chief surveyor and verified by the auditor during the course of the audit; or

(g) any other deficiencies or non-conformities as may be specified by the Director-General.

(4) The company may apply in writing to the Director-General for voluntary suspension or withdrawal of any certificate held by the company or any of its vessels and may surrender the certificate as directed.

(5) A Document of Compliance or Safety Management Certificate shall cease to be valid if there is a change in the company or ownership of the vessel or if the company or vessel is sold or transferred.

(6) All associated Safety Management Certificates and Ship Safety Certificates shall cease to be valid if Document of Compliance or Domestic Document of Compliance is withdrawn.

(7) Any certificate suspended under these rules may be revoked only after verification and satisfaction of the Director-General that the grounds for suspension have been rectified.

15. Recognised organisation.– (1) The Central Government may authorise a recognised organisation to issue, on its behalf, a Safety Management Certificate for a period of five months or a period as specified by the Director-General, after completion of an audit under the Code until a full-term certificate is issued by the chief surveyor.

(2) A Safety Management Certificate may be issued by a recognised organisation only if there is no major non-conformities and the auditor formally recommends certification of the vessel.

16. Obligations of company pertaining to audit. - (1) It shall be the responsibility of the company, including its management, officers and seafarers, to continuously comply with Indian laws and international laws relating to safety and environmental protection, as applicable, in addition to compliance with the Code.

(2) It shall be the duty of the company to–

(a) familiarise employees of the company about the objectives and scope of each audit;

(b) appoint responsible staff to assist the auditor;

(c) provide relevant documents, records and information needed by the auditor to ensure an effective and efficient verification process;

(d) provide access and objective evidence as may be requested by the auditor; and

(e) cooperate with the auditor to ensure that the objectives of the audit are achieved.

(3) All personnel participating in the audit or verification shall ensure confidentiality of documents pertaining to the certification.

17. Penalties and enforcement.– (1) Any contravention of these rules or failure to comply with any requirement thereof shall attract penalties as specified in the Act.

(2) Any person who operates any vessel in contravention of the provisions of these rules and for which no penalty is provided under sub-section (2) of section 281 of the Act shall be liable to penalty which may extend to fifty thousand rupees and if the breach is a continuing one, with further penalty which may extend to five thousand rupees for every day after the first day during which the breach continues.

(3) The imposition of a penalty or the detention of a vessel under these rules does not absolve the owner or master from rectifying the non-compliance and all deficiencies shall be corrected before the vessel resumes operation.

18. Appeals. – (1) Any person aggrieved by any action taken under these rules may file an appeal in writing before the chief surveyor within thirty days from such action.

(2) The chief surveyor shall hear the appeal and pass an order within a period of thirty days from the date of receipt of the appeal.

(3) No such order shall be passed under these rules unless the parties have been given a reasonable opportunity of being heard.

(4) If the appeal is against a suspension or cancellation of a certificate and the appeal is allowed, the certificate may be restored or reissued as the case may be, with continuity of validity.

FORM - 1

[*See* rule 12 (2)]

INTERIM SAFETY MANAGEMENT CERTIFICATE

[Issued by the Chief Surveyor with the Government of India under sub-rule (2) of rule 12 and the provisions of the International Convention for the Safety of Life at Sea, 1974, as amended]

Name of Ship:

Distinctive Number or letters:

Port of Registry:

Type of Ship*:

Gross Tonnage:

IMO Number:

Name and Address of Company:

Company Identification No:

This is to certify that the requirements of paragraph 14.4 of the ISM Code have been met and that the Document of compliance/Interim Document of Compliance** of the Company is relevant to the ship.

This Interim Safety Management Certificate is valid until…….... subject to the Document of Compliance/Interim Document of Compliance** remaining valid.

Completion date of the verification on which this certificate is based……

Issued at

Date of issue

Certificate No. ……

Chief Surveyor with the Govt. of India

Directorate General of Maritime Administration,

Mumbai

(Seal or stamp of issuing authority)

---

*Insert the type of ship from among the following: Passenger Ship: Passenger High-Speed Craft: Cargo High-Speed Craft: Bulk Carrier: Oil Tanker: Chemical Tanker: Gas Carrier: Mobile Offshore Drilling Unit: Other Cargo Ship.

**Delete as appropriate

The validity of this Interim Safety Management Certificate is extended to.....

Date of extension…….

Chief Surveyor with the Govt. of India

Directorate General of Maritime Administration

Mumbai

(Seal or stamp of the issuing authority)

FORM - 2

[*See* rule 12(1)]

INTERIM DOCUMENT OF COMPLIANCE

[Issued by the Chief Surveyor with the Government of India under sub-rule (1) of rule 12 and the provisions of the International Convention for the Safety of Life at Sea, 1974, as amended]

Name and Address of the Company: ……

Company Identification Number: …….

This is to certify that the safety management system of the company has been recognized as meeting the objectives of paragraph 1.2.3 of the International Management Code for the Safe Operation of Ships and for Pollution Prevention (ISM Code) for the type(s) of ships listed below:

(Delete as appropriate)

Passenger ship

Passenger high-speed craft

Cargo high-speed craft

Bulk carrier

Oil tanker

Chemical tanker

Gas carrier

Mobile offshore drilling unit

Other cargo ship

This Interim Document of Compliance is valid until……

Completion date of the verification on which this certificate is based……

Issued at …….

Date of issue ……

Certificate No.……

Chief Surveyor with the Govt. of India

Directorate General of Maritime Administration

Mumbai

(Seal or stamp of issuing authority)

FORM – 3

[*See* rule 9(1)]

SAFETY MANAGEMENT CERTIFICATE

[Issued by the Chief Surveyor with the Government of India under sub-rule (1) of rule 9 and the provisions of the International Convention for the Safety of Life at Sea, 1974, as amended]

Name of Ship:

Distinctive Number or Letters:

Port of Registry:

Type of ship*:

Gross Tonnage:

IMO Number:

Name and Address of Company:

Company Identification Number:…….

This is to certify that the Safety Management System of the ship has been audited and that it complies with the requirements of the International Management Code for the Safe Operation of ships and for Pollution Prevention (ISM Code), following verification that the Document of Compliance for the Company is applicable to this type of ship.

This Safety Management Certificate is valid until……..subject to periodical verification and the Document of Compliance remaining valid.

Completion date of the verification on which this certificate is based……

Issued at

Date of issue

Certificate No.

……..

Chief Surveyor with the Govt. of India

Directorate General of Maritime Administration

Mumbai

(Seal or stamp of issuing authority)

*Insert the type of ship from among the following: Passenger Ship: Passenger High-Speed Craft: Cargo High-Speed Craft: Bulk Carrier: Oil Tanker: Chemical Tanker: Gas Carrier: Mobile Offshore Drilling Unit: Other Cargo Ship.

Certificate No. ……..

Endorsement of Intermediate Verification and Additional Verification (if required)

THIS IS TO CERTIFY THAT at the intermediate verification in accordance regulation 6.1, Chapter IX of the Convention and paragraph 13.8 of the International Safety Management Code, the Safety Management System was found to comply with the requirements of the ISM Code.

Intermediate Verification
(to be completed between second and third anniversary date)

Signed……...…….….
(signature of the authorized official)

Place……
Date……

(Stamp)

Additional Verification*

Signed…….…….....
(signature of the authorized official)
Place…….……...……
Date……

(Stamp)

Additional Verification*

Signed……..…….....
(signature of the authorized official)
Place……...…….……
Date……

(Stamp)

Additional Verification*

Signed….…….....
(signature of the authorized official)
Place……...…….……
Date……

(Stamp)

---

*If applicable. Reference is made to the relevant provisions of Section 3.2 "Initial verification" of the Revised Guidelines on Implementation of the International Safety Management (ISM) Code by Administrations adopted by the Organisation by Resolution A.1118(33).

Certificate No. ……..

Endorsement where the Renewal Verification has been completed and Part B 13.13 of the ISM Code applies

The ship complies with the relevant provisions of part B of the ISM Code, and the Certificate should, in accordance with part B 13.13 of the ISM Code, be accepted as valid until……

Signed……..…….

(signature of the authorized official)

Place……

Date……...……..

(Stamp)

Endorsement to extend the validity of the Certificate until reaching the Port of Verification where Part B 13.12 of the ISM Code applies or for a period of grace where Part B 13.14 of the ISM Code applies

This Certificate should, in accordance with part B 13.12 or part B 13.14 of the ISM Code, be accepted as valid until …….

Signed…….....

(signature of the authorized official)

Place……..……..……

Date……..……..…….

(Stamp)

FORM – 4

[*See* rule 8(1)]

DOCUMENT OF COMPLIANCE

[Issued by the Chief Surveyor with the Government of India under sub-rule (1) of rule 8 and the provisions of the International Convention for the Safety of Life at Sea, 1974, amended]

Name and Address of the Company: …….

Company Identification Number:…….

THIS IS TO CERTIFY THAT the safety management system of the company has been audited and that it complies with the requirements of the International Management Code for the Safe Operation of Ships and for Pollution Prevention (ISM Code), for the types of ships listed below: (Delete as appropriate)

Passenger ship

Passenger high-speed craft

Cargo high-speed craft

Bulk carrier

Oil tanker

Chemical tanker

Gas carrier

Mobile offshore drilling unit

Other cargo ship

This Document of Compliance is valid till until……subject to periodical verification.

Completion date of the verification on which this certificate is based……

Issued at……

Date of issue…….

Certificate No. …….

Chief Surveyor with the Govt. of India

Directorate General of Maritime Administration

Mumbai

(Seal or stamp of issuing authority)

Certificate No.

ENDORESEMENT FOR ANNUAL VERIFICATION

This is to certify that, at the periodical verification in accordance with regulation 6.1, Chapter IX of the Convention and paragraph 13.4 of the ISM Code, the safety management system was found to comply with the requirements of the said Code.

1st Annual Verification

Signed.....
(signature of the authorized official)
Place……..
Date……

(Stamp)

2nd Annual Verification

Signed…….....
(signature of the authorized official)
Place……...
Date……

(Stamp)

3rd Annual Verification

Signed.....
(signature of the authorized official)
Place……
Date……

(Stamp)

4th Annual Verification

Signed……..….....
(signature of the authorized official)
Place……...
Date……

(Stamp)

Form-5

[*See* rule 10(2)]

DOMESTIC DOCUMENT OF COMPLIANCE

[Issued by the Chief Surveyor with the Government of India under sub-rule (2) of rule 10]

Name and Address of the Company: …….

Company Identification Number:…….

This is to certify that the safety management system of the company has been audited and that it complies with the requirements of the International Management Code for the Safe Operation of Ships and for Pollution Prevention (ISM Code), for the types of Domestic Vessels listed below:

(1) …….

(2) ……

This Domestic Document of Compliance is valid till until……subject to periodical verification

Completion date of the verification on which this certificate is based……

Issued at……

Date of issue……

Certificate No.…….

Chief Surveyor with the Govt. of India

Directorate General of Maritime Administration

Mumbai

(Seal or stamp of issuing authority)

Certificate No.

ENDORSEMENT FOR PERIODICAL VERIFICATION

This is to certify that, at the periodical verification in accordance with the clause (b) of sub-rule (3) of rule 10.

INTERMEDIATE VERIFICATION

Signed……..……..……
(Signature of the authorised official)

Place…….……....……

Date…….……..…

(Stamp)

ADDITIONAL VERIFICATION

Signed……. ……..….
(Signature of the authorised official)

Place……....……..

Date…….…...……

(Stamp)

ADDITIONAL VERIFICATION

Signed…….……...…….
(Signature of the authorised official)

Place…….....…….

Date……..…...……

(Stamp)

ADDITIONALVERIFICATION

Signed…….……
(Signature of the authorised official)

Place……
Date……..……

(Stamp)

[F.[No. SY-19014/199/2025-MG-Part(13)]

MUKESH MANGAL, Addl. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

KUMER CHAND MEENA Digitally signed by KUMER CHAND MEENA Date: 2026.07.14 10:01:26 +05'30'